संख्या-74/2016/2663/33-3-2016-21/2015टी.सी.

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2016**

विषय:-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित पंचायत भवनों पर डिजिटल वॉल पेन्टिग के माध्यम से प्रदेश सरकार की विकास परक योजनाओं को प्रदर्शित प्रचार-प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-72/2016 2011/33-3-2016-14/2016, दिनांक 07.10.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 1320.00लाख की प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-58/2016/2338/33-3-2.016-100(20)/2016, दिनांक 03.10.16 द्वारा आन लाइन जारी कर दी गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जारी विकास परक योजनाओं की समुचित जानकारी जनसामान्य को न होने के कारण शासन स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक 08.9.2016 में यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित पंचायत भवनों पर डिजिटल वाल पेन्टिग के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाये। पंचायत भवनों पर वाल पेन्टिग कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं :-

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वाल पेन्टिग कराये जाने के संबंध मं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता मं एक कमेटी का गठन किया जाये।

1. जिलाधिकारी -अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी -सदस्य
3. जिला सूचना अधिकारी -सदस्य
4. जिला पंचायत राज अधिकारी -सदस्य/सचिव

2. कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 08.9.2016 में एक पंचायत भवन पर पेन्टिग क्षेत्रफल 200 वर्गफीट का निर्णय लिया गया था। निदेशक, पंचायती राज के सर्वे के अनुसार भवनों पर उक्त क्षेत्रफल की दिवाल नहीं मिल रही है, ऐसी दशा में निदेशक, पंचायती राज द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार निर्मित पंचायत भवनों पर वाल पेन्टिग का कुल क्षेत्रफल 8X6=48 वर्गफीट की दो दीवारों पर डिजिटल वाल पेन्टिग कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. वाल पेन्टिग कराये जाने की निगरानी जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी।

4. जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जिले में निर्मित पंचायत भवनों की सूचना, सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. ग्राम पंचायत में निर्मित पंचायत भवनों पर वाल पेन्टिग का कार्य सूचना विभाग के द्वारा टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।

6. वाल पेन्टिग वाटर प्रूफ कोर टेक्नालाजी के माध्यम से प्रचार सामग्री तैयार कर वाल पर पेस्ट किया जायेगा।

7. सूचना विभाग के वेण्डर/वेण्डर्स को वाल पेन्टिग बनाने से लेकर ग्राम पंचायतों की दीवारों में चिपकाने तक का कार्य किया जायेगा।

8. राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के सारे वाल पेन्टिग एक साथ जनपद में न भेजे जाये। जहां जो योजना संचालित हो रही हो उस योजना से संबंधित अनुपालन में भेजा जाये।

9. जिला पंचायत राज अधिककारी द्वारा जनपद के पंचायत भवनों में यदि कहीं आवश्यकता हो तो मरम्मत/जीर्णोद्वार कराकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक पंचायत भवन पर 8X6 के दो स्थल अवश्य उपलब्ध हो जाये।

10. पंचायतीराज विभाग द्वारा साइज सैम्पल आदि की सूचना दी जायेगी, उसके उपरांत सूचना विभाग द्वारा टेण्डर की कार्यवाही की जायेगी।

11. शासनादेश संख्या-58/2016/2338/33-3-2016-100(20)/2016, दिनांक 03.10.2016 में अंकित शर्तो का अनुपालन करते हुए वाल पेन्टिग का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 30.11.2016 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय तथा कार्य सम्पन्न होने के उपरांत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत भवन पर वाल पेन्टिग होने की पुष्टि की सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त सूचना के आधार पर वाल पेन्टिग का भौतिक सत्यापन कराकर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पेन्टिग होने का प्रमाण-पत्र जारी करके सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तथा निदेशक, पंचायती राज/ उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अतः कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करके, वाल पेन्टिग का कार्य दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तक अवश्य पूर्ण कर लिये जायें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-2663(1)/33-3-2016-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
6 समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in